

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरु

पीठासीन अधिकारी :- अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

नं. मु :- 33/2025

निर्णय दिनांक :- 30/4/2025

1. पूर्णाराम पुत्र परसाराम उम्र 67 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ग्राम हेमासर आथूना तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बीदासर (चूरु)

..... अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र वास्ते रिकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

उपस्थित :-

1. अरविन्द चौधरी व लालचन्द जाट एडवोकेट वास्ते प्रार्थी
2. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी संख्या 1

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी का एक खेत खाता संख्या नया 94 व पुराना 39 तथा खसरा नम्बर 301/6 तादादी 3.9867 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम हेमासर आंथूना तहसील बीदासर में स्थित है जो प्रार्थी के एकल खातेदारी का खेत है। जिसके खातेदारी रिकॉर्ड में प्रार्थी का निवास स्थान का पता हेमासर आंथूना के स्थान पर सुजानगढ़ अंकित हो रखा है, जबकि प्रार्थी का सही एवं दस्तावेजी निवास पता ग्राम हेमासर आंथूना है। प्रार्थी के नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पास बुक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गोपालपुरा में प्रार्थी का निवास पता ग्राम हेमासर आंथूना अंकित है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का निवास पता सुजानगढ़ व अन्य समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का निवास पता ग्राम हेमासर आंथूना अंकित होने के कारण प्रार्थी को बैंक ऋण लेने व सरकारी योजना का अनुदान प्राप्त करने में परेशानी हो रही है। इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय के माफत राजस्व रेकार्ड में अपना निवास पता सुजानगढ़ की जगह अपना सही एवं शुद्ध दस्तावेजी निवास पता ग्राम हेमासर आंथूना का संशोधन राजस्व रिकॉर्ड में कराये।



उपखण्ड अधिकारी
केन्द्रीय (चूरु)

प्रार्थी का गलत चला आ रहा निवास पता राजस्व रेकार्ड में दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना पत्र राजस्व रेकार्ड में संशोधन का है तथा वादगत खेत रोही हेमासर आंथुणा तहसील बीदासर में स्थित है। इसलिए प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान्जी के न्यायालय को प्राप्त है आदि-आदि अंकित कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार बीदासर ने अपना लिखित में जवाब पेश किया जिसमें प्रार्थी का निवास पता शुद्ध किया जाना उचित बताया है। प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पास बुक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गोपालपुरा आदि में प्रार्थी का निवास पता ग्राम हेमासर आंथुणा अंकित है जबकी राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का निवास पता सुजानगढ़ अंकित है। हमने पत्रावली का भलीभांति ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर आये दस्तावेजों को बगौर से देखा। प्रकरण राजस्व रेकार्ड में नाम/निवास पता शुद्धी से सम्बन्धित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पास बुक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गोपालपुरा आदि में प्रार्थी का निवास पता ग्राम हेमासर आंथुणा अंकित है जबकी राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का निवास पता सुजानगढ़ अंकित है जिसको प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों के आधार पर शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों की विवेचना के आधार पर रोही ग्राम हेमासर आंथुणा के खेत खाता संख्या नया 94 व पुराना 39 तथा खसरा नम्बर 301/6 तादादी 3.9867 हेक्टेयर में प्रार्थी का निवास पता सुजानगढ़ को संशोधित किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थी का दस्तावेजी शुद्ध एवं सही निवास पता ग्राम हेमासर आंथुणा दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 30 / 4 / 2025 को सरे

इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर